तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 295/2023 जाफर बनाम मो0 शरीफ वगै0 प्रार्थना पत्र अ. धा. 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/2/23	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम/कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 91, 92, 93 रकबा क्रमशः 1.14, 0.26, 1.53 है0 भूमि अवस्थित है जो आवेदक की खातेदारी भूमि है। आवेदकगण ने अपनी भूमि का संलग्न सीमाज्ञान तहसीलदार के आदेश से दिनांक 21.11.2022 को पटवारी हल्का से सीमाज्ञान करवाया है जिससे प्रार्थीगण पूर्णतया संतुष्ट हैं। उक्त भूमि की सीमा चिन्ह के अनुसार प्रार्थी पत्थरगडी करवाना चाहता है। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगड़ी करवाने में प्रार्थी को कोई आपति नहीं है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्थरगडी करवाने के आदेश पारित किये जायें। बहस पत्रावली पर सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम/कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 91, 92, 93 रकबा क्रमशः 1.14, 0.26, 1.53 है0 अवस्थित है जो मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना साबित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान संलग्न रिपोर्ट दिनांक 21.11.2022 के अनुसार पत्थरगडी करवाना चाहता है। चूंकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा :– –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि ग्राम/कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 91, 92, 93 रकबा क्रमशः 1.14, 0.26, 1.53 है0 भूमि के चारों ओर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.11.2022 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जा काश्त का कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार पत्थरगड़ी करवायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11/2/23 को खुले इजलास सुनाया गया। (हवाई सिंह यादव) 11/2/23 उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	